

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—48/2022 (2022/109) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. शंकरसिंह पिता जोधसिंह राजपूत निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. भैरूसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मणसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चमनसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. ईश्वरसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी भाणुजा (लड़की) तहसील रायपुर
5. भंवरसिंह पिता वरदसिंह राजपूत निवासी भाणुजा (लड़की) तहसील रायपुर
6. दीगेन्द्रसिंह पिता जेठुसिंह राजपूत निवासी भाणुजा (लड़की) तहसील रायपुर
7. तेजराजसिंह पिता जेठुसिंह राजपूत निवासी भाणुजा (लड़की) तहसील रायपुर
8. डुगरसिंह पिता जेठुसिंह राजपूत निवासी भाणुजा (लड़की) तहसील रायपुर

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम लड़की पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 902 रकबा 1.06 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 193 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे हैं। प्रार्थीया ने दिनांक 25.02.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 16.03.2022 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख

मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम लड़की पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 902 रकबा 1.06 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 193 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बंधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



Om
26/04/2022
(सुन्दरलाल बम्बोजा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक सचिव, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (मैलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—48/2022 (2022/109) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. शंकरसिंह पिता जोधसिंह राजपूत निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. भैरूसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मणसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चमनसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी लड़की तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. ईश्वरसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी भाणुजा (लड़की) तहसील रायपुर
5. भंवरसिंह पिता वरदसिंह राजपूत निवासी भाणुजा (लड़की) तहसील रायपुर
6. दीगेन्द्रसिंह पिता जेटुसिंह राजपूत निवासी भाणुजा (लड़की) तहसील रायपुर
7. तेजराजसिंह पिता जेटुसिंह राजपूत निवासी भाणुजा (लड़की) तहसील रायपुर
8. डुगरसिंह पिता जेटुसिंह राजपूत निवासी भाणुजा (लड़की) तहसील रायपुर

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 26.04.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम लड़की पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 902 रकबा 1.06 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 193 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 26.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



26/04/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला भीलवाड़ा

रायपुर (भीलवाड़ा)